

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं०-15/आरोप (पटना) 02-96/2023-

(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

समाहर्ता, पटना के पत्रांक-2386 दिनांक-19.07.2023 द्वारा श्री चंदन कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, फुलवारी शरीफ, पटना के विरुद्ध दाखिल खारिज वाद सं०-11414/2022-23 के माध्यम से रकवा से अधिक दाखिल खारिज स्वीकृत करते हुए दोहरी जमाबंदी करने, विभागीय पोर्टल पर जमाबंदी में छेड़छाड़ करने, वरीय राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विपरीत जाकर दाखिल खारिज स्वीकृत करने तथा अपने पदीय उत्तरदायित्वों के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती जाने संबंधी आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-1702(15), दिनांक-12.09.2023 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोपी से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-822(15) दिनांक-07.05.2024 से भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना के पत्रांक-1854 दिनांक-06.08.2026 से विभाग को मंतव्य उपलब्ध कराया गया जिसमें अंकित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा मौजा-नथुपुर (थाना नं०-109), खाता सं०-103, दाखिल खारिज वाद सं०-11414/2022-23 के निष्पादन में बरती गयी गंभीर अनियमितताओं, स्वेच्छाचारिता के संबंध में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण तथ्यों से परे, भ्रामक एवं अपने प्रशासनिक लापरवाही को छुपाने का प्रयास मात्र है।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों, श्री कुमार से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि दाखिल खारिज वाद सं०-11414/2022-23 के निष्पादन में गंभीर अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता बरतते हुए ऑफलाईन जमाबंदी में छेड़-छाड़ कर रकवा से अधिक दाखिल खारिज स्वीकृत करते हुए दोहरी जमाबंदी कायम की गयी है। साथ ही प्रश्नगत दाखिल खारिज वाद अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं०-145/2019-20 में दिनांक-09.05.2022 को पारित आदेश के उपरान्त और उसके विपरीत जाकर निष्पादित किया गया है, जो वरीय राजस्व न्यायालय के स्पष्ट आदेशों की अनदेखी कर घोर अनुशासनहीनता का घोटक है। आरोपी पदाधिकारी का उक्त कृत्य का अभिप्राय यह है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता, शिथिलता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय राजस्व न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई है अथवा अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त चूक की गयी है। वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का बचाव का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री चंदन कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

6. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

7. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्ता, पटना/अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर/श्री चंदन कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, फुलवारी शरीफ, पटना सम्प्रति राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो, बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (पटना) 02-96/2023-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, पटना/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर/श्री चंदन कुमार, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो, बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (पटना) 02-96/2023-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0- आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (पटना) 02-96/2023-.....15/16.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-16/09/26

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।